न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/308/2022	2022/539	15.12.2022	04.07.2023

1. मामचन्द पुत्र रामकुमार पौत्र मातादीन जाति कुम्हार/प्रजापत निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. गूगन पुत्र मातादीन जाति कुम्हार/प्रजापत निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
2. मामली पुत्री मातादीन जाति कुम्हार/प्रजापत निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी असल

3. हरदयाल पुत्र रामकुमार पौत्र मातादीन जाति कुम्हार/प्रजापत निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4. सत्यपाल पुत्र रामकुमार पौत्र मातादीन जाति कुम्हार/प्रजापत निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
5. सोमा बाई पुत्री रामकुमार पौत्र मातादीन जाति कुम्हार/प्रजापत निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
6. उप पंजीयक नीमराना जिला अलवर राज0।
7. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री पवन सिंह चौहान —वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमावत —वकील असल अप्रार्थी सं0 1

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी गूगन बनाम मामचन्द वगै0 वाद सं0 213/2013 (2562/2015) को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी गूगन बनाम मामचन्द वगै0 वाद सं0 213/2013 (2562/2015) विचाराधीन है। वादी/असल रैस्पो0 1 द्वारा तरतीबी अप्रार्थी सं0 7/असल अप्रार्थी सं0 2 के साथ मिल्लत करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व तरतीबी अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7 के विरूद्ध एक वाद पेश किया गया। जिसमें वादी की साक्ष्य दिनांक 14.06.2022 को बंद कर दी गयी और उसके बाद साक्ष प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व तरतीबी अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7/प्रतिवादी सं0 2 लगा0 7 में चली गयी। दिनांक 17.06.2022 की तारीख पेशी पर पेशी वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 नियुक्त की गयी तथा पेशी दिनांक 06.0.2022 को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के साक्ष्य बंद कर इकजाई पेशी दिनांक 21.11.2022 नियुक्त की गयी। जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य खोले जाने हेतु एक प्रा0पत्र दिनांक 21.11.2022 को पेश किया गया। जिस प्रा0पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर, अलवर

द्वारा अवलोकन किये बगैर व वादी/असल अप्रार्थी सं0 1 के दबाव व प्रभाव में आकर तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व अन्य प्रतिवादी सं0 1 व अन्य प्रतिवादी सं0 2 लगा0 7/तरतीवी अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7 को साक्ष्य हेतु मौका दिये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से व उन्हे न्याय निर्णय प्राप्ति में हो रही असुविध व दिक्कतों को नजरअंदाज करते हुए अपने आदेश दिनांक 20.12.2022 को खारिज फरमा दिया गया। जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय का झुकाव वादी व तरतीवी प्रतवादी की ओर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई जा रही न्याय प्रकिया की मंशा प्रतिवादीगण के विरूद्ध है ना कि पक्षकारों को न्याय निर्णय देने की। प्रार्थी को न्याय निर्णय की कोई उम्मीद व आशा नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा वादी/असल अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में कार्यवाही करने की मंशा से मौजूदा वाद में जल्दी जल्दी तारीख पेशी मुकर्रर की जा रही है ताकि वादी/असल अप्रार्थी सं0 1 को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहूंचाया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही वादी/असल अप्रार्थी सं0 1 के हितार्थ की जा रही है जो विधि विरूद्ध है। वादी/असल अप्रार्थी सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादी/असल अप्रार्थी सं0 2 ऐलानिया तौर पर गांव में कहते है कि पीठासीन अधिकारी से उनकी अच्छी जान पहचान है और वो अपने हक में वाद का निस्तारण करा लेंगे। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में व्यक्तिगत आते जाते देखा है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पीठासीन अधिकारी से व्यक्तिगत शिकायत भी की गयी। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मिन प्रार्थी को डांट फटकार कर ऑफिस से निकाल दिया गया और कहा कि मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे वादी का वादी सही लगता है। जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी गूगन बनाम मामचन्द वगै0 वाद सं0 213/2013 (2562/2015) को अन्य किसी भी न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने जवाब/टिप्पणी पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र मनघडन्त रूप से पेश किया गया है। क्योंकि प्रा0पत्र 151 जवाब/बहस में दिनांक 28.06.2023 में नियत है। मुंतकिल प्रा0पत्र में पेश तथ्य बनावटी व मनघडंत है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। उक्तानुसार प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी गूगन बनाम मामचन्द वगै0 वाद सं0 213/2013 (2562/2015) को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
जिला कलक्टर, अलवर